विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन, आबकारी विभाग की अधिसूचना संख्याः 62/XXIII-1/2021/04(01)/2021 देहरादून दिनॉक जनवरी 30, 2021 के अन्तर्गत घोषित उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2021–22 व 2022–23 एवं शासन के पत्र संख्याः 96/XXIII-1/2021/04(01)/2021 देहरादून दिनॉक फरवरी 12 2021 तथा प्रचलित आबकारी नियमों में दी गई व्यवस्था के क्रम में निम्न मदिरा दुकानों का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना है, जिसके लिये निम्नवत् कार्यक्रम के अनुसार समस्त उत्तराखण्ड के निवासी इच्छुक पात्र आवेदकों से निर्धारित तिथि तक कार्यालय समय में आवेदन आंमत्रित किये जाते है–

क्रoसंo	विवरण	स्थान दिनांक व समय
01	निर्धारित पूर्ण राजस्व पर आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि व समय	दिनांक 08.06.2022 को 12.00 बजे अपरान्ह तक जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय नैनीताल में।
02	आवेदन पत्र परीक्षण का समय	दिनांक 08.06.2022 को 12.00 अपरान्ह से 12.30 बजे अपरान्ह तक
03	प्राप्त आवेदनों पर लॉटरी प्रकिया का समय	दिनांक 08.06.2022 को अपरान्ह 01.00 बजे से 02.00 बजे तक
04	पूर्ण राजस्व पर आवेदन प्राप्त न होने की दशा में अधिकतम राजस्व के सीलबन्द ऑफर/प्रस्ताव पर आवेदन प्रस्तुत करने का समय	दिनांक 08.06.2022 को अपरान्ह 02.30 बजे तक जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय नैनीताल में।
05	ऑफर/प्रस्ताव खोले जाने का समय	दिनांक 08.06.2022 को अपरान्ह 03.00 बजे जिलाधिकारी कार्यालय, नैनीताल (तल्लीताल) में

पुनर्व्यस्थापन हेतु निर्धारित राजस्व का विवरण

क्र0 सं0	मदिरा दुकान का नाम व प्रकार	पुनर्व्यवस्थापन हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए निर्धारित राजस्व (अवधि दिनांक 09.06.2022 से 31.03.2023 तक)	अनुज्ञापन शुल्क	कुल अधिभार	धरोहर धनराशि	हैसियत की धनराशि
01	मुखानी जज फॉर्म रोड, विदेशी	116080755	1161000	114919755	2902019	11608076
02	कोटाबाग, विदेशी	36575054	366000	36209054	914376	3657505

उपरोक्तानुसार मदिरा की दुकान हेतु इच्छुक/पात्र आवेदकों से निर्धारित प्रारूप पर पहचान पत्र, वांछित हैसियत (जी0–39) शपथ पत्र एवं धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ–साथ रू० 50,000/–बैंक ड्राफ्ट (नॉन रिफन्डेबल) जो कि, जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल के पक्ष में देय हो सहित आवेदन/ऑफर आंमत्रित किये जाते है। प्राप्त आवेदन पत्रों/ऑफर पर जिलाधिकारी/लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित आवेदक/ऑफर दाता से निगोशिएशन उपरान्त अधिकतम प्राप्त राजस्व ऑफर पर दुकानों का व्यवस्थापन किया जायेगा।

दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार जिलाधिकारी/लाईसेंसिंग प्राधिकारी/आवंटन समिति का होगा। दुकान आवंटन होने के पश्चात् आवंटी को निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क तत्काल जमा करने के साथ निर्धारित समय औपचारिकतायें यथा समय अनिवार्य रूप से पूर्ण करना आवश्यक होगा। उक्त दुकानों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय बेवसाइट www.uttarakhandexcise.org.in अथवा www.uk.gov.in एवं कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। पुनर्व्यवस्थापन हेतु शेष शर्ते उत्तराखण्ड शासन, आबकारी विभाग की अधिसूचना संख्याः 62/XXIII-1/2021/04(01)/2021 देहरादून दिनॉक जनवरी 30, 2021 के अनुसार रहेंगी।

(रेखा जुयाल भट्ट)
जिला आबकारी अधिकारी
नैनीताल।

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल।

पत्रांकः 363/जि0आ0अधि0/मदिरा दुकान /2022–23/नैनीताल/दिनॉक जून 01 ,2022

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. आबकारी आयुक्त महोदय, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी महोदय, नैनीताल।
3. संयुक्त आबकारी आयुक्त, आई0टी0 मुख्यालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को जन सामान्य के अवलोकनार्थ विभागीय बेवसाईड **www.uttrakhandexcise.org** पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
4. संयुक्त आबकारी आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
5. उप आबकारी आयुक्त, नैनीताल परिक्षेत्र।
6. जिला सूचना अधिकारी, नैनीताल।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि, उक्त विज्ञप्ति को जन सामान्य के अवलोकनार्थ बेवसाईड **www.uk.gov.in** पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र–02 हल्द्वानी एवं आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र–03 रामनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु अपने स्तर से व्यापक प्रचार प्रसार कर, दुकानों का पुनर्व्यवस्थापन कराना सुनिश्चित करें।
9. सम्पादक दैनिक जागरण/अमर उजाला/हिन्दुस्तान को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में शासकीय दरों पर न्यूनतम स्थान में दिनांक 02.06.2022 को ही प्रकाशित होने वाले संस्करण में प्रकाशित कर बिल 02 प्रतियों में भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. कलेक्ट्रेट, विकास भवन, का0 जि0आब0अधि0, समस्त नगर पालिका व नगर निगम, समस्त तहसीलें, जनपद–नैनीताल, क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक के सूचना पट पर जन सामान्य के अवलोकनार्थ।

जिला आबकारी अधिकारी
नैनीताल।

Scanned by CamScanner